न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 29/2022

1 श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी गोपाल।
2 छीगनलाल पुत्र सुरजमल।
3 जमना देवी पत्नी मामराज।
4 हरिशंकर पुत्र सुरजमल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासी गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 28.08.2017 मुकदमा दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश बनाम श्रीमती कौशल्या देवी वगैरह मुकदमा संख्या 125/2013 न्यायाल सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार मीणा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लक्ष्मणसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–31-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 एवं स्थगन पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। विचाराधीन निर्णय में परिपत्र दिनांक 06.08.2021 की पालना भी नही की गई है। अत तादौराने अपील विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 299, आर.आर.एल.डब्ल्यू. 2003 (1) पेज 80 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की विचारण न्यायालय में उपस्थिति रही है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी है। विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री अपीलांट की सहमती से जारी की गई है। अत अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट की विचारण न्यायालय में उपस्थिति रही है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी है। विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री अपीलांट की सहमती से जारी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के अधिवक्ता के नोऑब्जेक्शन के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अब इस स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है गुणावगुण पर विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर